173/

संख्या :- /XLI-1/15-34/(प्रशि0)/2015

प्रेषक,

आर0के0 सुधांशु
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण, विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादून : दिनांक : 08 सितम्बर ~~अगस्त~~, 2015

विषयः वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु लेखाशीर्षक 2230–03–003–07, मानक मद–लघु निर्माण में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–10354/डीटीईयू/लघुनिर्माण/प्रस्ताव/2015–16, दिनांक 21 जुलाई, 2015 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 359/XXVII((1)/2015, दिनांक 23 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(युवक), हल्द्वानी हेतु लघु निर्माण मद में ₹80.00 लाख के सापेक्ष विभागीय टी0ए0सी0 के उपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹6.76 लाख (रूपया छः लाख छियत्तर हजार मात्र) की निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:–

लघु निर्माण मानक मद–25(लेखाशीर्षक 2230–03–003–07)

क्र0 सं0	रा0औ0प्रशि0 संस्थान का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	धनराशि लाख रु0 में	औचित्य
1	युवक, हल्द्वानी	संस्थान में महिला शौचालय के निर्माण कार्य हेतु	उत्तराखण्ड पेयजल सं0वि0निगम	1.81	संस्थान परिसर में महिला कार्मिकों की अधिक संख्या होने से उनके लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था आवश्यकीय।
2	युवक, हल्द्वानी	कार्यालय कक्षों में एल्युमिनियम पार्टिशन	उत्तराखण्ड पेयजल सं0वि0निगम	4.95	संस्थान कार्यालय कक्षों में एल्युमिनियम पार्टिशन एवं प्रधानाचार्य कार्यालय कक्ष/अटैच शौचालय में अति आवश्यकीय लघु सिविल कार्य।
			योग	6.76	

(₹6.76 लाख (रूपया छः लाख छियत्तर हजार मात्र)

(1). यह सुनिश्चित कर लिया जाए की वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 359/XXVII((1)/2015, दिनांक 23 मार्च, 2015 के अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर ली गयी है।

(2). उत्तराखण्ड राज्य अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अध्याय–तीन, निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति में किये गये प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः

(3). छोटे कार्यों(पेटी वर्क) तथा लघु कार्यों(माइनर वर्क्स) की आर्थिक सीमा वृद्धि सम्बन्धी शासनादेश संख्या 88/XXVII(3)/कार्य/2005 दिनांक 24.02.2005 में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4). कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5). कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्ये–नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(6). वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व निदेशक का होगा।

(7). एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

(8). उक्त कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध रूप से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आंगणन के पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

(9). निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में थर्ड पार्टी चेंकिग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा गुणवत्ता का समस्त उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा।

(10). आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

(11). वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01अप्रैल, 2015 तथा शासनादेश संख्या–645/XXVII(1)/2015, दिनांक 04जून, 2015 में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 003– दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 07–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण मानक मद, 25–लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या : 753 (1) /XLI-1/15–34/(प्रशि0)/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त कुमाँऊ मण्डल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–5/नियोजन विभाग।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी(नैनीताल)।
8. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी(नैनीताल)।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।